

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएस

प्रकरण सं० : 180/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।
- वादी

बनाम

सन्तलाल पुत्र पतराम जाति जाट साकिन झांसल।

- प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष पेरोकार राज व वकील प्रतिवादी लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादभूमि में प्रतिवादी के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम 2 जेएसएल के मु०नं० 32 के किला नं० 16/1 में कुल 0.025 है० कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वादभूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार प्राप्त करे। वादभूमि में मोबाईल टावर लगा हुआ है जो कि जनोपयोगी सेवा है, जिसे तत्काल बंद किया जाना आम जनता के हितों के प्रतिकूल है। तहसीलदार भादरा मोबाईल दूरसंचार सेवा प्रदाता टेलीकॉम कम्पनी व सम्बंधित टावर कम्पनी के साथ विधिवत प्रक्रिया अपनाकर वादभूमि से अकृषिक कार्य सरंचना मोबाईल टावर हटवाया जाना सुनिश्चित करे। विधिवत प्रक्रिया द्वारा पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी मोबाईल टावर न हटाए जाने पर तहसीलदार भादरा वादभूमि से मोबाईल टावर हटाने हेतु स्वतंत्र है। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह ऋण वसूली के लिए सक्षम न्यायालय में नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही संस्थित करें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.6.18.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 180/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।
- वादी

बनाम

सन्तलाल पुत्र पतराम जाति जाट साकिन झांसल।

- प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : परोकार राज : वादी

वकील श्री लीलाधर अग्रवाल : प्रतिवादी 1

निर्णय

दिनांक : 12.6.18

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम 2 जेएसएल के मु०नं० 32 के किला नं० 16/1 में कुल 0.025 है० भूमि वर्तमान में सन्तलाल पुत्र पतराम जाति जाट साकिन झांसल के नाम से खातेदारी दर्ज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि सन्तलाल द्वारा मु०नं० 32 के किला नं० 16/1 में रकबा 0.025 है० पर बीएसएनएल कम्पनी का मोबाईल टावर लगाकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैरकृषि कार्यों में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में कृषि उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निर्माण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नहीं। मु०नं० 32 के किला नं० 16/1 की खातेदारी भूमि में हो रहे गैर कृषिक कार्यों के लिए खातेदार दण्ड के भागीदार है। विवादित कृषि भूमि को खातेदार द्वारा बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 1 ने जबाबदावा पेश कर अतिरिक्त कथन किया कि दावा परोपर प्रफोर्मा में नहीं है तथा दावा में वाद हेतुक व वाद कारण व बिनाय मुख्वास्मत दर्ज नहीं की गई है ना ही पक्षकारान के रजिस्टर्ड पते की मद दर्ज की गई है। जबकि दावा प्रोपर प्रफोर्मा में होना आवश्यक है, इसलिए उक्त वाद काबिले खारिज है।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

अधिकारी (राजस्व)

1. आया कि वाद भूमि चक 2 जेएसएल के मु0न0 18 के किला नं0 21/1 मु0नं0 31 के किला नं0 1, 10, 11, 20 व मु0नं0 32 के किला नं0 16 की कुल 1.2150 है0 भूमि खातेदारी कृषिभूमि में बीएसएनएल कम्पनी का मोबाईल टावर लगाकर कृषि भूमि को अकृषि कार्य के रूप में व्यवसायिक/औद्योगिक उपयोग में लेने के कारण वाद भूमि को सिवाय चक घोषित कराने के अधिकारी है ?

— वादी

2. आया वाद भूमि में व्यवसायिक उपयोग में लाने टॉवर की कृषि भूमि से अकृषि में संपरिवर्तन कराना आवश्यक नहीं है।

— प्रतिवादी

3. अनुतोष ?


साक्ष्य वादी में हल्का पटवारी मंगलविकास पुत्र श्री विजय कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रदर्श 1, 6, नक्शा नकल चक 5 जेएसएल प्रदर्श 2, फोटो प्रति चक 2 जेएसएल के खाता सं0 101 सम्वत् 2072-75 प्रदर्श 3, सत्य फोटो प्रति जमाबन्दी चक 2 जेएसएल खाता सं0 101/97 सम्वत् 2072-75 प्रदर्श 4, नक्शा चक 2 जेएसएल प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। अपनी बहस में पेटोकार राज ने जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषक को मात्र कृषि उपयोग के लिए खातेदारी अधिकार हासिल है। धारा 177 काश्तकारी अधिनियम के तहत अहितकर कार्य करने या काश्तकारी अधिनियम की शर्तें भंग करने पर (कृषक) खातेदार को बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार वाद भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर प्रतिवादी को भूमि से बेदखल किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्टेट की ओर से खातेदार काश्तकार सन्तलाल के विरुद्ध वाद कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के उपयोग में लिए जाने का मामला है। हस्तगत प्रकरण में 2 तनकीयात कायम की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व नियमों के अनुसार कृषक अपनी काश्तकारी का 1/50 वां हिस्सा या अधिकतम 500 वर्गमीटर अकृषि कार्यों जैसे निवास, कुआ, पशुशाला, भण्डारगृह के लिए उपयोग में ले सकता है।

धारा 177 में स्पष्ट प्रावधान है कि भू अभिधारी ऐसा कोई कार्य जो जोत की भूमि के लिए अहितकर हो या उसने ऐसी शर्त भंग की हो तो बेदखली का दाई होगा।

हस्तगत प्रकरण में सरकार की ओर से तहसीलदार भादरा के वाद पत्र व साक्ष्य पटवारी रिपोर्ट मौका पर मुख्य परीक्षा से ये साबित है कि खातेदार काश्तकार सन्तलाल ने कुल कृषि भूमि 1.265 है0 में से किला नं0 13 में रकबा 0.025 है0 पर मोबाईल टावर लगाकर अकृषि कार्य में उपयोग बिना किसी विधि


उपकार्यधिकारी (राजस्थान)
सदर, जिला न्यायालय, जयपुर



सम्मत आदेश, सम्परिवर्तन आदेश, लाईसेंस, परमिट के किया है। अतः अकृषि कार्य जोत के कृषि प्रयोजन के प्रतिकूल है।

प्रतिवादी ने अपनी तनकी के पक्ष में Government of Rajasthan Department of urbane Development and housing no.f.10(147) UDH/3/2008part-III jaipur, date 6feb2017 का आदेश पेशकर निवेदन किया कि मोबाईल टावर हेतु भूमि संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मगर प्रतिवादी के विरुद्ध स्टेट द्वारा दावा 21.06.16 को पेश किया। प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया कि प्रतिवादी द्वारा मोबाईल टावर की स्थापना व संचालन हेतु कोई अनुमति प्राप्त की गई थी या वर्तमान में अनुमति प्राप्त की गई है। प्रतिवादी द्वारा बिना अनुमति मोबाईल टावर की स्थापना करके कृषि भूमि को अकृषि कार्य में प्रयोग किया गया जो कि जोत के कृषि प्रयोजन के प्रतिकूल है। प्रतिवादी अपनी तनकी साबित करने में असफल रहा है। उक्त तनकी सं० 1 व 2 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरुद्ध तय की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में दो तनकीयात कायम की गई थी जो वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध तय की जा चुकी है।

अतः वादभूमि में प्रतिवादी के हक हिस्सा तक वाद वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम 2 जेएसएल के मु०नं० 32 के किला नं० 16/1 में कुल 0.025 है० कृषि भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है व तहसीलदार भादरा को आदेश दिया जाता है कि वादभूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार प्राप्त करे। वादभूमि में मोबाईल टावर लगा हुआ है जो कि जनोपयोगी सेवा है, जिसे तत्काल बंद किया जाना आम जनता के हितों के प्रतिकूल है। तहसीलदार भादरा मोबाईल दूरसंचार सेवा प्रदाता टेलीकॉम कम्पनी व सम्बंधित टावर कम्पनी के साथ विधिवत प्रक्रिया अपनाकर वादभूमि से अकृषिक कार्य सरंचना मोबाईल टावर हटवाया जाना सुनिश्चित करे। विधिवत प्रक्रिया द्वारा पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी मोबाईल टावर न हटाए जाने पर तहसीलदार भादरा वादभूमि से मोबाईल टावर हटाने हेतु स्वतंत्र है। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह ऋण वसूली के लिए सक्षम न्यायालय में नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही संस्थित करें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाई की गई।



(राजकुमार कर्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़